उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स)

एस–08, त्यौनर विला, सी–ब्लॉक, गणेश विहार, अजबपुरखुर्द,

देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

दूरभाष सं0 :- 0135- 6050050, ई–मेल : usugars@rediffmail.com

पत्रांक **दिनांक.................**

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

शासनादेश सं0 596/XIV–2/2014/1(9)/2013 दिनांक 13.06.2014 द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) तथा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में नियुक्त केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 में निहित प्राविधानों के अधीन 01.06.2014 से पुनरीक्षित छठे वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

1– शासन द्वारा प्राप्त उक्त स्वीकृति के आधार पर उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) तथा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में नियुक्त केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को संलग्नक–1 के कॉलम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कॉलम–3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड)/वेतनमान तथा उसके सादृश्य क्रमशः कॉलम–4 व 5 में इंगित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2– संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का निर्धारण शासनादेश सं0 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 के साथ संलग्नक–2 फिटमैन्ट टेबल में अंकित विवरणानुसार किया जायेगा तथा वार्षिक वेतनवृद्धि का निर्धारण एवं अन्य सभी लाभ उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे।

3– उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीयत सेवा के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को समतुल्य स्तर के राज्य कर्मचारियों से अधिक वेतनबैंड/ग्रेड वेतन अनुमन्य नही कराया जायेगा।

4– उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) तथा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में नियुक्त केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, मकान किराया भत्ता दिनांक 01.06.2014 से अनुमन्य कराया जायेगा तथा संशोधित यात्रा भत्ता की दरें तत्काल प्रभाव से अनुमन्य करायी जायेंगी।

क्रमशः ...2...

5– स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत् अतिरिक्त प्रोत्साहन के फलस्वरूप विशेष वेतन शासनादेश सं0 40/XXVII/(7)/स्वै0परि0क0/2009 दिनांक 13.02.2009 में निहित व्यवस्था के अधीन देय होगा।

6– दिनांक 01.06.2014 से अनुमन्य कराये गये संशोधित ढ़ाँचे में चयन का विकल्प लिखित रूप से सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स को एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा तथा इन कार्मिकों का वेतन निर्धारण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के स्तर से किया जायेगा।

7– उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) तथा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में नियुक्त केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.06.2014 से अनुमन्य कराया जायेगा तथा इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को न तो पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा और न ही इस तिथि से पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान की कोई अवशेष धनराशि भुगतान की जायेगी।

उक्त प्रस्तर 01 से 06 तक में उल्लिखित प्राविधान केवल केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों पर ही लागू होंगे।

ह0–
(विनोद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन सं0 /2014–15 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
3– गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
4– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स।
5– प्रधान प्रबन्धक, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
6– अधिशासी निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

ह0–
(विनोद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के सादृश्य उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के अधीन मुख्यालय तथा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में वर्तमान में स्वीकृत वेतनमानों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विवरण।

क्रम संख्या	**वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01.01.2006 के पूर्व)**	**वेतन बैंड/वेतनमान का नाम**	**सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान**	**सादृश्य ग्रेड वेतन**
1	2	3	4	5
1	2550—55—2660—60—3200	—1एस	4440—7440	1300
2	3050—75—3950—80—4590	वेतनबैंड—1	5200—20200	1900
3	3200—85—4900	वेतनबैंड—1	5200—20200	2000
4	4000—100—6000	वेतनबैंड—1	5200—20200	2400
5	4500—125—7000	वेतनबैंड—1	5200—20200	2800
6	5000—150—8000	वेतनबैंड—2	9300—34800	4200
7	5500—175—9000	वेतनबैंड—2	9300—34800	4200
8	6500—200—10500	वेतनबैंड—2	9300—34800	4200
9	8000—275—13500	वेतनबैंड—3	15600—39100	5400
10	8550—275—14600	वेतनबैंड—3	15600—39100	6600
11	9650—325—14600	वेतनबैंड—3	15600—39100	6600
12	10000—325—15200	वेतनबैंड—3	15600—39100	6600
13	10650—325—15850	वेतनबैंड—3	15600—39100	6600
14	12000—375—16500	वेतनबैंड—3	15600—39100	7600
15	14300—400—18300	वेतनबैंड—4	37400—67000	8700
16	16400—450—20000	वेतनबैंड—4	37400—67000	8900
17	16400—500—22400	वेतनबैंड—4	37400—67000	8900